प्रेषक,

मिशन निदेशक,
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |

सेवा में,

उपायुक्त स्वत: रोजगार,
समस्त इंटेंसिव जनपद |

पत्रांक: 4693 / 1945 /dry ration/2020-21 दिनांक: 23 मार्च 2021

विषय: प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वंय सहायता समूह के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

कृपया निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के पत्रांक C-1167/ बा०वि०परि०/पो० एवं स्वा०/ 2020-21, दिनांक 24 फरवरी 2021 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी/ मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वंय सहायता समूह अनुपूरक पोषाहार का वितरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि तृतीय त्रैमास की एक माह की अवशेष गेहूँ स्वंय सहायता समूह के पास पूर्व से ही उपलब्ध है के साथ-साथ तृतीय त्रैमास का अवशेष दुग्ध उत्पाद स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी की आपूर्ति माह फरवरी 2021 में की जा रही है | तदुपरांत पत्रांक C-1225/ बा०वि०परि०/पो० एवं स्वा०/ 2020-21, दिनांक 15 मार्च 2021 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश को डब्लू०बी०एन०पी० के अंतर्गत गेहूँ एवं चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है | पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि **भारत सरकार से 11-14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी के लिए योजना से अभी खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है |** चतुर्थ त्रैमास के माह जनवरी, फरवरी एवं माह मार्च 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत THR वितरण के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गए है | उपरोक्त पत्रों के अनुसार चतुर्थ त्रैमास का ड्राई राशन का वितरण निम्नानुसार कराया जाना है-

माह जनवरी 2021

1. माह जनवरी, 2021 हेतु लाभार्थीवार वितरण किये जाने वाले THR की मात्रा निम्नवत होगी-

Category of Beneficiary	**Take Home Ration**			
	Wheat	**Rice**	**Chana Daal**	**Fortified Edible Oil**
Children 06 m to 03 y	1.5 KG	1.0 KG	1.0 KG	0.455 kg
Children 03 m to 06 y	1.5 KG	1.0 KG	500 gm.	0.000
PW & LW	2.0 KG	1.0 KG	1.0 kg	0.455 kg
06M to 06Y Severely Malnourished Children	2.5 KG	1.5 KG	2.0 kg	0.455 kg

2. चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति NAFED द्वारा की जाएगी | ग्रामीण क्षेत्रौं में चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति परियोजना कार्यालय तक व शहरी क्षेत्रौं में चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति NAFED द्वारा निर्धारित पैकेजिंग में आंगनवाड़ी केंद्र तक की जाएगी |
3. ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं में पूर्व के अनुसार गेहूँ एवं चावल मैप्ड कोटेदार से एवं चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल परियोजना कार्यालय से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वंय सहायता समूहों

द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित मानक के अनुसार पैकेजिंग करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जायेगा | वितरण में आंगनवाड़ी कार्यकत्री का सहयोग किया जायेगा |

माह फरवरी 2021

चतुर्थ त्रैमास की माह फरवरी 2021 की आपूर्ति नैफेड के माध्यम से फोर्टीफाइड चावल, दलिया (गेहूँ), चना दाल, एडिबल आयल एवं लाभार्थी पैकेजिंग पैकेट्स की आपूर्ति किया जाने का प्रावधान किया गया है, किन्तु भारत सरकार से अभी गेहूँ एवं चावल अपेक्षित है, जिसके कारण तृतीय त्रैमास के एक माह के अवशेष गेहूँ को चना दाल एवं एडिबल आयल के साथ वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है | मिशन से अनुरोध किया गया है कि "तृतीय त्रैमास की एक माह के अवशेष गेहूँ जो स्वंय सहायता समूह द्वारा नैफेड द्वारा की जा रही आपूर्ति (चना दाल एवं एडिबल आयल) के साथ पैकेजिंग पैकेट्स में रखवा कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरण कराया जाना है | परियोजना स्तर पर प्राप्त स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी का भी उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध / वितरण करवाया जाना प्रस्तावित है |"

माह मार्च 2021

1. माह मार्च, 2021 हेतु लाभार्थीवार वितरण किये जाने वाले THR की मात्रा निम्नवत होगी-

Category of Beneficiary	Take Home Ration		
	Wheat	Chana Daal	Fortified Edible Oil
Children 06 m to 03 y	1.5 KG	1.0 KG	0.455 kg
Children 03 m to 06 y	1.5 KG	500 gm.	0.000
PW & LW	2.0 KG	1.0 kg	0.455 kg
06M to 06Y Severely Malnourished Children	2.5 KG	2.0 kg	0.455 kg

2. चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति NAFED द्वारा की जाएगी | ग्रामीण क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति परियोजना कार्यालय तक व शहरी क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति NAFED द्वारा निर्धारित पैकेजिंग में आंगनवाड़ी केंद्र तक की जाएगी |
3. ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं में पूर्व के अनुसार गेहूँ मैप्ड कोटेदार से एवं चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल परियोजना कार्यालय से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वंय सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित मानक के अनुसार पैकेजिंग करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जायेगा | वितरण में आंगनवाड़ी कार्यकत्री का सहयोग किया जायेगा |

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि निम्नानुसार कार्यवाही करते हुए एक माह का गेहूँ तथा CDPO से प्राप्त दुग्ध उत्पाद (मिल्क पाउडर एवं देशी घी) का भी उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध / वितरण करवाया जाना है-

1. तृतीय त्रैमास की एक माह की अवशेष गेहूँ को नैफेड द्वारा की जा रही आपूर्ति के साथ पैकेजिंग पैकेट्स में रखवा कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरण कराया जाना है |
2. परियोजना स्तर पर CDPO गोदाम से प्राप्त तृतीय त्रैमास के स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी का भी उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मैप्ड समूहों के माध्यम से वितरित किया जाना है | वितरण से सम्बंधित व्यय को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा ड्राई राशन अंतर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि (सीधे समूह के खाते में एवं जनपद के खाते मे) से वहन किया जायेगा |
3. स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी का उठान उस अवस्था में किया जाना है कि जब दोनों दुग्ध उत्पाद (स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी) आवश्यक मात्रा में CDPO गोदाम पर उपलब्ध हों ताकि उठान एक

बार में ही कर लिया जाये जिससे बार-बार CDPO कार्यालय से उठान न करना पड़े तथा भाड़े का व्यय भी कम हों |

4. चना दाल एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल से सम्बंधित आपूर्ति निर्देश DI ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी |
5. निदेशक बाल विकास एवं सेवा विभाग के पत्र के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों का वास्तविक सत्यापन आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जाना है | लाभार्थियों की सत्यापित सूची आंगनवाड़ी कार्यकत्री CDPO/DPO से प्राप्त करने के उपरांत वास्तविक लाभार्थियों को ड्राई राशन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरण कराया जाना है |
6. आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अपेक्षित सामग्री उपलब्ध वितरण कराये जाने के उपरांत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप-3 में भौतिक प्रगति एवं प्रारूप GFR-12 में उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल मिशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना है |

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार तृतीय त्रेमास की एक माह के अवशेष गेहूँ जो स्वंय सहायता समूह द्वारा चतुर्थ त्रेमास की आपूर्ति नैफेड द्वारा की जा रही आपूर्ति (चना दाल एवं एडिबल आयल) के साथ पैकेजिंग पैकेट्स में रखवा कर तथा परियोजना स्तर पर प्राप्त स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी का भी उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध / वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें |

भवदीय,

(सुजीत कुमार)
मिशन निदेशक,
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास, उ०प्र० |

पत्रांक: / /dry ration/2020-21, उक्तदिनांक |

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग |
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त इंटेंसिव जनपद |

मिशन निदेशक,
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास, उ०प्र० |

प्रेषक,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 8167 / बा0वि0परि0 / पो0एवं स्वा0 / 2020–21 दिनांकः 25 फरवरी, 2021

विषयः–प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जैसा कि आप अवगत है कि तृतीय त्रैमास हेतु प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाडी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को ड्राई राशन (गेहूं, चावल, देशी घी एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर) वितरण किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जैसा कि शासन के पत्र संख्या 2601 / 58–1–2020–2 / 1(116)17 टी0सी0 दिनांक 01.10.2020 में निर्धारित है तथा दिनांक 01.10.2020 के अनुसार गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा निर्धारित ड्राई राशन हेतु विस्तृत प्रक्रिया (SOP) जो पत्र संख्या सी–604 दिनांक 20.10.2020 द्वारा निर्गत की गयी थी।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि तृतीय त्रैमास के अवशेष एक माह का गेहूँ जो कि स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से ही उपलब्ध हैं तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तृतीय त्रैमास की अवशेष दुग्ध उत्पाद स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी की आपूर्ति माह फरवरी, 2021 में की जा रही है।

उच्च स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में चतुर्थ त्रैमास की माह फरवरी, 2021 की आपूर्ति नैफेड के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल, दलिया (गेहूं), चना दाल, एडिविल ऑयल एवं लाभार्थी पैकेजिंग पैकेट्स की आपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है किन्तु भारत सरकार से अभी गेहूं एवं चावल अपेक्षित है, जिसके कारण तृतीय त्रैमास के एक माह के अवशेष गेहूं को चना दाल एवं एडिविल ऑयल के साथ वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कृपया तृतीय त्रैमास की एक माह के अवशेष गेहूं जो स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध है, को स्वयं सहायता समूह द्वारा नैफेड

द्वारा की जा रही आपूर्ति (चना दाल, एडिविल ऑयल) के साथ पैकेजिंग पैकेट्स में रखवा कर साथ ही परियोजना स्तर पर प्राप्त स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं देशी घी का भी उठान करा कर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध/वितरण करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि वितरण की कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित हो सके तथा लाभार्थियों के हित प्रभावित न हो।

भवदीया,

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या— /तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि नैफेड/पी0सी0डी0एफ0 द्वारा की गयी आपूर्ति को प्राप्त करते हुए नियमानुसार वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक C-1295/बा0वि0परि0/पो0एवं0स्वा0/2020–21, दिनांक : 15 मार्च, 2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजना (एस0एन0पी0) के अन्तर्गत माह जनवरी, 2021 एवं माह मार्च, 2021 हेतु टी0एच0आर0 के वितरण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के पत्र संख्या–सीडी–।।।–17–1/2020–सीडी.।।।(ई–82532), दिनांक 02 मार्च, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 के चतुर्थ त्रैमास हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को डब्लू0बी0एन0पी0 के अन्तर्गत 46301.30 एम0टी0 गेहूं एवं 10619.30 एम0टी0 चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या सी–219, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा 25986.99 एम0टी0 गेहूं एवं 10619.30 एम0टी0 चावल तथा निदेशालय के पत्र संख्या सी–220, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा 20175.84 एम0टी0 गेहूँ का आवंटन भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ को निर्गत किया जा चुका है, जिसकी जनपदवार विस्तृत विवरण/सूचना आपको ई–मेल के माध्यम से दिनांक 12.03.2021 को प्रेषित की जा चुकी है। भारत सरकार से 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी के लिए योजना–(एस0ए0जी0) के लिए अभी खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इनके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेगें।

चतुर्थ त्रैमास के माह जनवरी एवं माह मार्च, 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत टी0एच0आर0 वितरण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है :–

1– **माह जनवरी, 2021**

(क) माह जनवरी, 2021 में चतुर्थ त्रैमास हेतु निदेशालय पत्र संख्या–219, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा आवंटित 25986.99 एम0टी0 गेहूं एवं 10619.30 एम0टी0 चावल जनपद में निर्धारित आवंटन के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किया जायेगा।

(ख) माह जनवरी, 2021 हेतु लाभार्थीवार वितरण किये जाने वाले टी0एच0आर0 की मात्रा निम्नवत् होगी :–

Category of Beneficiary	Take Home Ration			
	Wheat	Rice	Chana Daal	Fortified Edible Oil
Children 06m to 03y	1.5 kg.	1.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
Children 03y to 06y	1.5 kg.	1.0 kg.	500 gm.	0.000
PW & LW	2.0 kg.	1.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
06m to 06y Severely Malnourished Children	2.5 kg.	1.5 kg.	2.0 kg.	0.455 kg.

(ग) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति परियोजना कार्यालय तक व शहरी क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा **निर्धारित पैकेजिंग में** आंगनबाड़ी केन्द्र तक की जायेगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं में निदेशालय पत्र संख्या सी–604, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार गेहूं एवं चावल मैप्ड कोटेदार

से एवं चना दाल तथा एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल परियोजना कार्यालय से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित मानक के अनुसार पैकेजिंग करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकत्री का सहयोग किया जायेगा।

(ड.) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल से सम्बन्धित आपूर्ति निर्देश (डी0आई0) संलग्न (ई–मेल से) है।

2— <u>माह मार्च, 2021</u>

(क) माह मार्च, 2021 में निदेशालय पत्र संख्या–220, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा आवंटित 20175.84 एम0टी0 गेहूं जनपद में निर्धारित आवंटन के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में वितरित किया जायेगा।

(ख) माह मार्च, 2021 हेतु लाभार्थीवार वितरण किये जाने वाले टी0एच0आर0 की मात्रा निम्न् सारिणी के अनुसार होगी :—

Category of Beneficiary	Take Home Ration		
	Wheat	Chana Daal	Fortified Edible Oil
Children 06m to 03y	1.5 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
Children 03y to 06y	1.5 kg.	500 gm.	0.000
PW & LW	2.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
06m to 06y Severely Malnourished Children	2.5 kg.	2.0 kg.	0.455 kg.

(ग) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति परियोजना कार्यालय तक व शहरी क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा **निर्धारित पैकेजिंग में** आंगनबाड़ी केन्द्र तक की जायेगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं में निदेशालय पत्र संख्या सी–604, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार गेहूं मैप्ड कोटेदार से एवं चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल परियोजना कार्यालय से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित मानक के अनुसार पैकेजिंग करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकत्री का सहयोग किया जायेगा।

(ड.) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल से सम्बन्धित आपूर्ति निर्देश (डी0आई0) संलग्न (ई–मेल से) है।

वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय तथा सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरान्त ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाये।

पूर्व माहों का खाद्यान्न यदि अवशेष रह गया है, तो उसका समयोजन करते हुए वितरण किया जाये।

उक्त दोनों माहों की आपूर्तित मात्रा का वितरण दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निर्गत एस0ओ0पी0 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र / निर्धारित स्थल पर वितरण दिनांक 05.04.2021 को एवं शेष रह गये लाभार्थियों को वितरण 06.04.2021

को किया जायेगा। वितरण पोषण उत्सव के रूप में किया जायेगा जिसके लिए पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेगें।

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रवार वितरण की सूचना DIA Portal/Poshan Tracker पर अवश्य फीड की जाये।

एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर गठित समिति यथा–ग्राम निगरानी समिति, ब्लाक निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति द्वारा टी0एच0आर0 की आपूर्ति, वितरण की सघन निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

वितरण हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत आधार नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जनपद उन्नाव एवं फतेहपुर में रेसिपी बेस्ड टी0एच0आर0 उत्पादन इकाई की स्थापना एस0एच0जी0 माइक्रोइन्टरप्राइज द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से की जा चुकी है। अतः उक्त माहों में जनपद उन्नाव की परियोजना बीघापरु एवं सिकन्दरपुर करन तथा जनपद फतेहपुर की परियोजना मलवां में रेसिपी बेस्ट टी0एच0आर0 का वितरण एस0एच0जी0 माइक्रोइन्टरप्राइज द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि एस0ओ0पी0 की व्यवस्था के अनुसार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खाद्यान्न का उठान, आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराने एवं वितरण में सहयोग हेतु अपरे स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. शाखा प्रबन्धक, नैफेड, सीतापुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवंटित मात्रा के अनुसार चना दाल एवं खाद्य तेल की आपूर्ति दिनांक 31.03.2021 तक सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक